राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम संख्या 6)

[राज्यपाल की अनुमति 11 जनवरी, 1957 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य की विधान सभा के अधिकारियों और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली परिलब्धियां और पेंशन के लिये उपलब्ध करने हेतु अधिनियम।

अत: राज्य की विधान सभा के अधिकारियों तथा सदस्यों को संदत्त किये जाने वाले वेतन और भत्ते विधि द्वारा नियत करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 186 और 195 में उपबन्ध किया गया है;

अत: भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 1956 है।

2. निर्वचन.- (1) जब तक विषय अथवा सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) ''नियत दिन'' 1 नवम्बर, 1956 से अभिप्रेत है,

*(कक) ''निर्वाचन क्षेत्र भत्ता'' से सदस्य के पद के कर्तव्यों के पालन में सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपगत वैयक्तिक पदीय व्ययों और सदस्य द्वारा पत्राचार और विद्युत् जल के मद्दे उपगत व्ययों की पूर्ति करने के लिये कोई भत्ता अभिप्रेत है।

---

*अधिसूचना संख्या- प.2(39) विधि2/2019, दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा हटाया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ककक) ''चिकित्सकीय सुविधाएं'' इसमें आयुर्वेदिक अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सा भेषज अथवा शल्य प्रणाली, जो आधुनिक प्रगतियों से अनुपूरित हो अथवा नहीं, के अनुसार उपचार की सुविधाएं सम्मिलित हैं; ''और'' चिकित्सकीय परिचर्या तथा उपचार का अर्थ तदनुसार समझा जायेगा।

(ख) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य किन्तु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर उसमें-

(i) राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 43, सन् 1956) में यथा परिभाषित कोई मंत्री; तथा

(ii) इस अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य की विधान सभा का कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है;

(ग) ''मंत्री'' से अभिप्राय राजस्थान राज्य के मंत्री से है जिसमें मुख्य मंत्री एवं उपमंत्री सम्मिलित हैं;

(घ) ''अधिकारी'' से अभिप्राय राज्य की विधान सभा के सन्दर्भ में प्रयुक्त उक्त सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से है; तथा

(ङ) ''राज्य'' से अभिप्राय स्टेट्स री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 (सैंट्रल एक्ट 37 आफ 1956) की धारा 10 द्वारा गठित राजस्थान राज्य से है।

(2) राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 (राजस्थान एक्ट 8 आफ 1955) के उपबन्ध पुनर्गठन पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवर्तनशील, यथाशक्य, यथोचित, परिवर्तनों सहित उस अधिनियम पर लागू होंगे।

3. अधिकारियों के वेतन .- (1) राज्य की विधान सभा के-

(क) अध्यक्ष को प्रति माह [@]सत्तर हजार रुपये वेतन, तथा

(ख) उपाध्यक्ष को प्रति माह [@]पैंसठ हजार रुपये वेतन दिया जायेगा।

[@] अधिसूचना क्र.प. 2(39) विधि/2/2019 दिनांक अगस्त 21, 2019 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित वेतन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को, यथास्थिति, से अथवा दिनांक @1 अप्रैल, 2019 से जिसको यह संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया हो, जो भी बाद में हो, और तब तक जब तक कि वह विधि के अनुसार उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं करे अथवा नहीं त्यागे या उसे हटाया नहीं जाये, देय होगा।

3-क. सत्कार भत्ता.- धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिनांक @1 अप्रैल, 2019 से @अस्सी हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

4. सदस्यों के वेतन.- राज्य की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य दिनांक@1 अप्रैल, 2019 अथवा उस तारीख से जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 43, सन् 1951) की धारा 67 के अधीन उसके राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित होने के परिणाम की घोषणा शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित की जाये, जो भी बाद में हो उक्त सदस्य रहने तक प्रति माह @चालीस हजार रुपये वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ न ले तथा उसका प्रतिज्ञान न करे, उक्त वेतन का दावा नहीं करेगा :

@ अधिसूचना प. 2(39) विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह और कि उक्त वेतन निरन्तर अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से ऐसी कटौतियों के दायित्वाधीन होगा जिनका राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों में उपबन्ध किया जाये।

4 क. पेंशन और अन्य सुविधाएं.- (1) 1 अप्रैल, 2019[@] से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, [@]पैंतीस हजार रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरन्तर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार छः सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा;

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अन्तर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

[@] 2019 के अधनियम सं. 23 द्वारा जारी अधिसूचना प.2(39)विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 दिनांक 1 अप्रेल, 2019 से प्रभावी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है :-

(i) राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उप-मंत्री; या

(iv) राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उप-सभापति; या

(v) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

*(2) उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हों, के अध्यधीन स्वयं के और अपने आश्रित बच्चों के ***1 अप्रैल, 2018 से,-

(क) स्वयं के और अपने आश्रित बच्चों के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी व्यय के पुर्नभरण के लिए उसी के समतुल्य का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग की सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुज्ञेय है; और

(ख) **दो निःशुल्क अनन्तरणीय पासों का भी हकदार होगा जो उसे और उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा चाहे जिस किसी भी पथ पर यह संचालित हो, ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो विहित की जाये, किसी भी समय यात्रा का हकदार बनायेंगे :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति तत्समय पूर्वोक्त सुविधाओं में से किसी के लिए भी राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद या किसी अन्य राज्य विधान मण्डल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार हो तो वह उस सीमा तक उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा।

---

* अधिसूचना प.2(35) विधि/2/2008 दिनांक 5 अगस्त, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित

** अधिसूचना प.2(22) विधि/2/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

*** अधिसूचना प.2(26)विधि/2/2018 दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) जहां कोई संसद सदस्य रहा हो, चाहे राजस्थान राज्य में किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने के पश्चात् लोक सभा में या राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सभा में, वहां वह एक ऐसे नि:शुल्क अन्तरणीय पास का हकदार होगा जो उसे राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम सेवा द्वारा किसी भी ऐसे मार्ग पर जिस पर वह चलती है, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उप-धारा (2) के अधीन विहित हो, किसी भी समय यात्रा करने का हकदार बनायेगा।

4. ख. कौटुम्बिक पेंशन.- (1) धारा 4 क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसे नियमों के अधीन जो विहित किये जायें, जहां 8 मार्च, 1985 को या उसके पश्चात् विधान सभा के किसी सदस्य की मृत्यु उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसके पति को ऐसे दिवंगत सदस्य की पदावधि के अनवसित भाग के लिये प्रति मास उस वेतन की जिसका कि ऐसा सदस्य तब हकदार रहा होता यदि वह जीवित रहा होता समतुल्य रकम की पेंशन दी जायेगी :

परन्तु यदि दिवंगत सदस्य की पत्नी या उसके पति का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस उप-धारा के अधीन कोई भी पेंशन नहीं दी जायेगी।

(2) जहां दिवंगत सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, तो उप-धारा (1) के अधीन संदेय पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

(3) जहां उस सदस्य की पत्नी या उसका पति उत्तरजीवित नहीं रहा हो अथवा उत्तरजीवी पति या पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया हो तो उप-धारा (1) के अधीन कौटुम्बिक पेंशन दिवंगत सदस्य के परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण.- अभिव्यक्ति 'कुटुम्ब' से दिवंगत सदस्य के पुत्र और अविवाहित पुत्रियां और ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जो उसकी मृत्यु के समय पूर्णत: या मुख्यत: उस पर आश्रित थे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.-(1) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अप्रैल, 2019 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, [@]सत्रह हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा :

(i) @@विलोपित

(ii) यदि ऐसे सदस्य के पति या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदत्त नहीं की जायेगी;[@]

(iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी; और

(iv) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन की किसी भी बकाया की समूची रकम संदत्त की जायेगी और जहां किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी जीवित नहीं है, वहां ऐसी पेंशन की बकाया की रकम मृतक भूतपूर्व सदस्य के कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण-</u> अभिव्यक्ति कुटुम्ब से मृतक भूतपूर्व सदस्य के पुत्र और अविवाहित पुत्रियां और ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जो उसकी मृत्यु के समय पूर्णत: या मुख्यत: उस पर आश्रित थे।

[@] अधिसूचना क्रमांक प2(20)विधि/2/2010 दिनांक 23/9/2000 से प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण I.– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के सम्बन्ध में, जो अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, ''अंतिम आहरित पेंशन'' वह रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के सम्बन्ध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदावधि समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता ।

स्पष्टीकरण II.– इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी; और

(2) इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियम, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए 1 अप्रेल, 2012 से चिकित्सीय उपचार के मद्धे किसी व्यय की ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो राज्य सरकार की सेवाओं के सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

---

* अधिसूचना प.2(22) विधि/2/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

***4-घ. भूतपूर्व सदस्यों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा.-** (1). प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में ##एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये, ##1 अप्रैल, 2019 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा:

"(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है उसके द्वारा विदेश यात्रा के लिए उसके अनुरोध पर विधान सभा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, उसके द्वारा ऐसी यात्रा के लिए संदत्त वायुयान, पोत या स्टीमर के वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, उप-धारा (1) के अधीन सुसंगत वर्ष में उपलब्ध रकम में से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और/या बनाये गये नियमों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।"

"परन्तु यदि इस धारा के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम हो तो एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम एक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जायेगी और द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुईअप्रयुक्त सम्पूर्ण रकम व्यपगत हो जायेगी।"

"4-ड. भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को यात्रा सुविधा.- किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को एक सौ यात्रा पास प्रतिवर्ष दिये जायेंगे जिससे वह, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा द्वारा, किसी भी ऐसे मार्ग जिस पर वह चलती है, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये, यात्रा करने का हकदार होगा।"

5. सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक के वेतन .-

(1) @1 अप्रैल, 2019 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को @पैंसठ हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को ##बासठ हजार रुपये प्रति मास का वेतन संदत्त किया जायेगा और

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को @1 अप्रैल, 2019 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, @(सरकारी मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और सरकारी उप मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

@ अधिसूचना प.2(39) विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा प्रतिस्थपित दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी

अधिसूचना एफ.2(39) विधि/2/2010 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना एफ.2(24) विधि/2/2022 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिये ''सरकारी मुख्य सचेतक'' या ''सरकारी उप मुख्य सचेतक'' से राजस्थान विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो इस सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का तत्समय, मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक है।

(3) यदि इस बारे में कोई संदेह हो कि किसी तात्विक समय पर सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाला शासक दल कौनसा है या था, अथवा यह कि किसी तात्विक समय पर ऐसे किसी दल का, उस सभा में सरकारी मुख्य सचेतक या सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है या था तो इस प्रश्न का विनिश्चय राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और उसका लिखित विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा।

6. विपक्ष के नेता का वेतन और सत्कार भत्ता.- (1) विपक्ष के नेता को [@]1 अप्रैल, 2019 या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद भार ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, प्रति मास [@]पैंसठ हजार रुपये का वेतन और प्रति मास [@]अस्सी हजार रुपये सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- (I) इस अधिनियम में, ''विपक्ष का नेता'' से राजस्थान विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो उस विधान सभा में, तत्समय, सरकार के विपक्ष के सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले दल का और अध्यक्ष द्वारा उक्त रूपेण मान्यता प्राप्त, नेता है।

(II) जहां सरकार के विपक्ष में, समान संख्या बल रखने वाले दो या अधिक दल हों वहां अध्यक्ष, दलों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे दलों में से किसी भी एक नेता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

[@] अधिसूचना प.2(39)विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

6 क. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता को अन्य सुविधाएं तथा भत्ते.- (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिकारी'' कहा गया है, अपनी-अपनी सम्पूर्ण पदावधिभर, किराये या अन्य प्रभार के संदाय के बिना :-

(क) जयपुर में एक शासकीय निवास और फर्नीचर के, और

(ख) एक राजकीय कार के-

उपयोग के हकदार होंगे और उक्त अधिकारियों पर ऐसे निवास फर्नीचर या कार के रख-रखाव के सम्बन्ध में वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह कि उक्त प्रत्येक अधिकारी किराये या अन्य प्रभार का संदाय किये बिना, ऐसा अधिकारी न रह जाने की तारीख से दो मास की कालावधि तक के लिये जयपुर में एक शासकीय निवास और फर्नीचर का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निवास, फर्नीचर और राजकीय कार का उपयोग और रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।

*(3) (क) यदि अध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक या विपक्ष का नेता ऐसी किसी भी प्रसुविधा का उपयोग नहीं करता है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है तो उसे ऐसी प्रसुविधा के स्थान पर उसको राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1950 (1956 का अधिनियम सं. 43) के उपबन्धों के अधीन मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से भिन्न किसी मंत्री को ऐसी प्रसुविधाओं के स्थान पर संदेय भत्तों के बराबर भत्ता संदाय किया जायेगा।

(ख) यदि उपाध्यक्ष या सरकारी उप मुख्य सचेतक ऐसी किसी भी प्रसुविधा का उपयोग नहीं करता है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है तो उसे ऐसी प्रसुविधा के स्थान पर राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) के उपबन्धों के अधीन राज्य मंत्री को ऐसी प्रसुविधा के स्थान पर संदय भत्तों के बराबर भत्ता संदत्त किया जायेगा।

---

*अधिसूचना एफ.2(25) विधि-2/2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी, इस बात को विचार में लाये बिना कि आया जयपुर में जिस शासकीय निवास का वह इस धारा के अधीन हकदार है उसका वह उपयोग करता है या नहीं, अपने निवास स्थान पर बिजली और पानी के उपयोग विषयक अपने द्वारा देय समस्त प्रभारों के अपनी सम्पूर्ण पदावधिभर और ऐसे अधिकारी के पद पर न रहने की तारीख से दो मास की कालावधि तक अपने लिए और अपनी ओर से सरकार द्वारा संदाय की रियायत का भी हकदार होगा :-

परन्तु ऐसा संदाय ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी, सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्राप्त करने का भी हकदार होगा :-

(क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिए स्वयं अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता :-

(i) पद ग्रहण करने के लिए जयपुर से बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से जयपुर तक यात्रा; और

(ii) पदमुक्त होने पर जयपुर से बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक जयपुर से यात्रा।

(ख) अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में या लोकहित में उसके द्वारा की गयी (भारत के बाहर की यात्राओं को सम्मिलित करते हुए) यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा और दैनिक भत्ते; और

(6) उप-धारा (5) के अधीन संदत्त यात्रा भत्ता, या तो नकद संदाय के रूप में हो सकता है या नि:शुल्क शासकीय वाहन के रूप में।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन रहते हु ये ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य, सरकार द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सालयों में नि:शुल्कवास सुविधा और चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे।

(8) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हु ए ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मामलों में निम्नलिखित मदों हेतु राज्य के बाहर कोई भी रियायत या विशिष्ट सुविधा, जिसमें उसकी प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, दी जा सकेगी :-

(i) चिकित्सा उपचार

(ii) चिकित्सा परिचर्या या उसके द्वारा की गयी ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता; और

(iii) ऐसे उपचार के प्रयोजनों के लिए वास-सुविधा जिसमें आहार भी सम्मिलित है।

(9) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन, ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी, जयपुर में अपने निवास पर और अपने कार्यालय में टेलीफोन का हकदार होगा।

(10) सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक ऐसी डाक सुविधाओं के हकदार होंगे जो विहित की जायें।

(11) ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सुविधापूर्वक और दक्षता से कर सकने के लिए मोटर कार के क्रय के लिये प्रति संदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि ऐसे निबंधनों पर दत्त की जायेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

(12) इस अधिनियम के अधीन वेतन भत्ते प्राप्त करने वाले ऐसे अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी, विधान सभा द्वारा उपबन्धित निधियों में से विधान सभा की अपनी सदस्यता की बाबत वेतन या भत्ते के रूप में कोई भी रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

7. मान्यता प्राप्त दलों के सचेतकों तथा ग्रुपों के नेताओं को टेलीफोन सुविधाएं.- विधान सभा में मान्यता प्राप्त दलों के सचेतक तथा ग्रुपों के नेता ऐसी टेलीफोन सुविधाओं के हकदार होंगे जो विहित की जावें ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए :-

(i) ''मान्यता प्राप्त दल'' वह दल अभिप्रेत है जिसकी सदस्य संख्या विधान सभा की बैठकों के लिए विहित गणपूर्ति से अधिक है।

(ii) ''ग्रुप'' से सदस्यों का ऐसा संगम अभिप्रेत है जिसको अध्यक्ष द्वारा ग्रुप के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

8. सदस्यों के भत्ते.- (1) ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यधीन जो विहित किये जायें, विधान सभा के प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए :-

(क) उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार विहित दरों पर यात्रा भत्ता, तथा

(ख) राज्य के भीतर [@]दो हजार रुपये प्रति दिन और राज्य के बाहर [@]दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति दिन की दर पर दैनिक भत्ता, इस बात के अध्यधीन रहते हु एकि ऐसा भत्ता सिवाय तब के जबकि विधान सभा सत्र में हो, ऐसी कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी एक कलैण्डर मास में पन्द्रह दिन से अधिक पड़ती हो :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा विहित अपने पद की शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उसके हस्ताक्षरित करने से पहले ऐसे किसी भी भत्ते के रूप में किसी सदस्य को किसी भी राशि का संदाय नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि जब तक खण्ड (क) के अधीन दरें निहित नहीं की जायें विधान सभा सदस्यों को उसके अधीन यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर संदेय होगा।

[@] अधिसूचना प.2(39) विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 28 के आधार पर निर्मित राज्य की अस्थायी विधान सभा का प्रत्येक सदस्य नियत दिन से उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा परिस्थितियों में यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक सदस्य, उस स्थान से जहां ऐसा सदस्य मामूली तौर से निवास करता है, अपनी पत्नी या अपने पति, यथास्थिति को उस दर्जे में जिसमें यात्रा करने का वह सदस्य हकदार है, सरकारी खर्चे पर राजस्थान विधान सभा के प्रत्येक सत्र के दौरान एक बार जयपुर लाने तथा वापस ले जाने की अभिवहन सुविधाओं का हकदार होगा।

(4) उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ कोई सदस्य राजस्थान विधान सभा के किसी सत्र के दौरान किसी भी दिन उसके अधिवेशन में उपस्थित हुआ समझा जायेगा यदि ऐसे अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए जयपुर आ जाने के पश्चात् वह उसमें रुग्णता के कारण अथवा किसी न्यायालय के आदेश की पालना में उस दिन वस्तुत: उपस्थित होने से निवारित हो जाता है या हो जाती है :

परन्तु न्यायालय के अन्तिम आदेश के अनुसार ऐसे सदस्य को जिस दिन उपस्थित होने से वह इस प्रकार निवारित हो जाये, उस दिन उसे ऐसे अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरर्हित न कर दिया गया हो।

8क. सड़क परिवहन सेवा द्वारा नि:शुल्क अभिवहन.- प्रत्येक सदस्य को दो नि:शुल्क अनन्तरणीय पास दिये जाएंगे जिससे वह और सदस्य के साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा किसी भी ऐसे मार्ग जिस पर चलती है जगह की ऐसी श्रेणी में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो विहित की जाये, किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा :

परन्तु इस धारा की किसी भी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी सदस्य को किसी भी यात्रा भत्ते, जिसका वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा हकदार है के हक से वंचित करती है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

8ख. सदस्यों को नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधाएं.- [##](1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में [@]तीन लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये, [#]1 अप्रैल, [@]2019 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा ।

"(1क) कोई सदस्य, विदेश यात्रा के लिए उसके अनुरोध पर विधान सभा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, उसके द्वारा संदत्त वायुयान, पोत या स्टीमर के वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, उप-धारा (1) के अधीन सुसंगत वर्ष में उपलब्ध रकम में से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी मात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा के संबंध में समय -समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और/या बनाये गये नियमों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।"; और

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम तीन लाख रुपये से कम है वहां [@]तीन लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य हवाई जहाज, पोत या स्टीमर द्वारा यात्रा करना चाहे वहां उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने का, जो कि उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किये गये हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और उस रेल किराये के, जिसका कि वह उस धारा के अधीन हकदार है, अन्तर के समतुल्य हो, और इस प्रकार अभ्यर्पित सुविधा का नकद समतुल्य प्राप्त करने का हकदार होगा।

[#](4) धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, विधान सभा अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित हवाई जहाज, पोल या स्टीमर द्वारा विदेश यात्रा के इसके द्वारा संदल वास्तविक किराये के बराबर

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

रकम का पुनर्भरण, उप-धारा (1) द्वारा ही गयी सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों और या बनाये गये नियमों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।

#(5) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, समिति के अध्ययन दौरे के लिए, स्वयं की इच्छा पर या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा करना चाहे तो वह उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज. पोत या स्टीमर के उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किराये के बराबर है. अभ्यर्पण करने का और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा।

#(6) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा करना चाहे तो वह उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किराये और इस रेल किराये के. जिसका कि वह इस धारा के अधीन हक़दार है, अन्तर के बराबर है, अभ्यर्पण करने का, और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा।

#(7) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति के अध्ययन दौरे के लिए, या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, हवाई जहाज, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों, जो सड़क या रेल से जुड़े हुए नहीं हैं की यात्रा करना चाहे तो वह उप धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का, जो कि हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के उसके वारा वास्तव में संदत्त किराये के बराबर है. अभ्यर्पण करने का. और इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी सुविधा के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा"।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु रेल किराये के रूप में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये के सम्बन्ध में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और रेल किराये के बीच के अन्तर के रूप में या उनमें किसी के भी रूप या इस सम्बन्ध में इस प्रकार संदत्त कुल रकम किसी एक वित्तीय वर्ष के भीतर [@]तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनार्थ सदस्य में मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 43) में यथा परिभाषित मंत्री और इस अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य विधान सभा का अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

8ग. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.- (1) सदस्य प्रति माह [##]सत्तर हजार रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) शंकाओं के परिवर्जन के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं भी अन्य भत्तों या सुविधाओं चाहे वे नकद रूप में हो या वस्तु रूप में, के अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण में।

[#] अधिसूचना सं. प.2(20) विधि/2/2019 दिनांक 23.9.2020.

[##] अधिसूचना सं. प.2(39) विधि/2/2019 दिनांक 21.8.2019.

[@] अधिसूचना सं. प.7(2) संसद/2019/ दिनांक 7.11.2019

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

8घ. सदस्यों को सचिवालयिक सहायता.- प्रत्येक सदस्य को, राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन सं. 9 से अनधिक की ग्रेड वेतन में वेतन आहरित करने वाला एक कर्मचारी सचिवालयिक सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा या, सदस्य के विकल्प पर, सचिवालयिक सहायक के बदले में सदस्य को तीस हजार रुपये प्रतिमाह की एकमुश्त राशि संदत्त की जायेगी ।

[@]"**8-ड. सदस्यों को टेलीफोन भत्ता.**- प्रत्येक सदस्य को 1 अप्रैल, 2019 से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास का टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जायेगा"।

9. सुविधाएं.- (1) विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये ऐसी चिकित्सा सुविधाओं और ऐसी आवास सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जायें।

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ आवास-सुविधा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(i) ऐसी दर तथा ऐसी शर्त एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसे विहित किये जायें गृह किराये भत्ते की मंजूरी :

परन्तु ऐसा गृह किराया भत्ता जयपुर में अपनी या किराये पर ली गई वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्यों को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ की तारीख से अथवा ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी पश्चावर्ती हो, अनुज्ञेय होगा; तथा

(क) ऐसी कालावधि तक, जो विहित की जाये, जयपुर में किराये पर सरकारी आवास सुविधा का आबंटन,

(ख) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार खण्ड (i-क) के अधीन सरकारी आवास सुविधा के आबंटन की कालावधि के दौरान फर्नीचर, विद्युत और जल का प्रदाय, और

[@] अधिसूचना क्रमांक प.2 (39)विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 से प्रतिस्थापित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

@"(iii) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपने स्वामित्व वाली या उसके द्वारा किराये पर ली गयी वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्य को 1 अप्रैल, 2019 से या ऐसी वास-सुविधा क अधिभोग की तारीख से, जो भी बाद में हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमें द्वारा विहित किया जाये, अस्सी हजार रुपये की सीमा तक के फर्नीचर पर व्यय का पुनर्भरण।"

(3) प्रत्येक सदस्य, उसे आबंटित सरकारी आवासीय वास-सुविधा को, उप-धारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण के खण्ड (II-क) में निर्दिष्ट कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् तुरन्त खाली कर देगा और इसमें विफल रहने पर राजस्थान सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 (1965 का राजस्थान अधिनियम संख्या 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के खण्ड (III) में निर्दिष्ट फर्नीचर समेत ऐसी आवासीय वास-सुविधा का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ 'सदस्य' में कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो सदस्य या ऐसा अधिकारी नहीं रह गया है जिसे धारा 6-क की उप-धारा (1) में ''उक्त अधिकारी'' कहा गया है।

@ अधिसूचना एफ2 (39) विधि/2/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

9क. समितियों के अध्यक्षों को सुविधाएं.- विधान सभा की समिति का प्रत्येक अध्यक्ष एक टेलीफोन तथा ऐसी अन्य डाक सुविधाओं का नि:शुल्क हकदार होगा जो विहित की जायें।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिये ''विधान सभा की समिति'' से कोई भी समिति अभिप्रेत है जो राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के द्वारा या अधीन नियुक्त निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुईहो।

10. अधिकारी वृत्ति आदि नहीं करेंगे.- विधान सभा का तत्समय अधिकारी, अपनी पदावधि के दौरान कोई वृत्ति या व्यापार-व्यवसाय नहीं करेगा या ऐसे अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त पारिश्रमिक लेकर कोई अन्य नियोजन ग्रहण नहीं करेगा।

11. नियम.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनायेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में-

(क) वे शर्तें और निर्बन्धन विहित किये जायेंगे जिनके अध्यधीन दैनिक भत्ता लिया जावेगा;

(ख) वे शर्तें विहित की जायेंगी जिनके अधीन, वह दर जिस पर और वे यात्राएं जिनके लिए यात्रा भत्ते का दावा किया जा सकेगा;

(ग) यात्राओं की वे श्रेणियां विनिर्दिष्ट की जायेंगी जो विधान सभा के किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई मानी जायेंगी;

(घ) चिकित्सालयों में जो नि:शुल्क वास-सुविधा तथा नि:शुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार किसी भी अधिकारी को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उपलब्ध कराये जावेंगे उनकी शर्तें और सीमा विहित की जायेंगी;

(ड) धारा 9 में उल्लिखित चिकित्सा, आवासन *सुविधाएं विहित की जायेंगी;

(च) जिन परिस्थितियों में और जिस सीमा तक किसी सदस्य का वेतन काटा जा सकेगा उन्हें विनिर्दिष्ट किया जायेगा;

---

*अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(25) विधि-2/2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 द्वारा विलोपित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(चच) पेंशन उठाने के लिये नियम तथा वह प्रारूप विहित किया जायेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने के प्रयोजनार्थी कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, पेश करेगा;

(छ) ऐसे अन्य मामले अधिकथित किये जायेंगे जिन्हें इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाये या किया जाना अपेक्षित है।

(3) इस अधिनियम के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से कोई नियम ऐसी तारीख से बनाया जा सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व की न हो और जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

12. व्यावृत्तियां.- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों की कोई भी बात विधान सभा के किसी भी अधिकारी या सदस्य को या किसी भी मंत्री को, विधि के अनुसार जिन वेतनों तथा भत्तों का वह हकदार है, उसके साथ-साथ अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक के रूप में या अन्यथा उसे अनुज्ञेय या कोई भी पेंशन, भत्ता या वेतन प्राप्त करने या प्राप्त करने का हकदार होने से नहीं रोकेगी।

12क. अल्पतर दरों पर भत्ते लेने का विकल्प.- इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी ऐसा कोई सदस्य जो समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन उसको अनुज्ञेय दरों पर भत्ता न लेना चाहे, अध्यक्ष को भेजी गई लिखित सूचना द्वारा ऐसे भत्ते तथा उन दरों पर ले सकेगा जो उस तारीख को प्रवृत्त हों, जिसका वह विकल्प दे।

13. निरसन एवं व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अध्यादेश, 1956 (1956 का अध्यादेश संख्या 9) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 15, सन् 1952) के अधीन बनाये गये पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त नियमों पर उक्त निरसन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे नियम जो नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त बने रहेंगे और जब तक इस अधिनियम के अधीन नये नियम न बना लिये जायें, इसके अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

14. रियायतों के विषय में कतिपय संदायों का विनियमन.- पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान राज्य के राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 15, सन् 1952) में किसी बात के होते हुए भी विधान सभा के किसी ऐसे अधिकारी के लिए और उसकी ओर से जिसका वेतन और भत्ते उक्त अधिनियम द्वारा नियंत्रित थे उसके स्थान पर बिजली और पानी के उपभोग के विषय में संदत्त या संदेय समस्त धनराशियां धारा 6 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन, समुचित रूप से और विधिपूर्वक संदत्त या संदेय समझी जायेंगी और ऐसे समूचे संदाय या उसके किसी भी अंश की वापसी के लिए किसी भी अधिकारी से कोई मांग नहीं की जायेगी।